रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO. D(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1978/माघ 5, 1899

No. 35] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 1978/MAGHA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 44(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 ख में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाए कि निर्धारिती किसी शुल्क्य माल पर शुल्क के निर्धारण के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश करने में या जानकारी देने में असमर्थ है ; या

(ख) जहां उचित अधिकारी किसी शुल्क योग्य माल पर शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन से उसकी रासायनिक या अन्य परीक्षण करवाना आवश्यक समझे ; या

(ग) जहां निर्धारिती ने शुल्क के निर्धारण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश कर दी हो या जानकारी दे दी हो किन्तु फिर भी उचित अधिकारी शुल्क निर्धारण के लिए और जांच करना (जिसमें माल के हटाए जाने के बाद उस पर अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के विषय में अपने समाधान के लिए जांच भी है) आवश्यक समझे ;

(वहां उचित अधिकारी, निर्धारिती के लिखित अनुरोध पर या स्वयं अपनी इच्छा से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पेश किये जाने या ऐसी जानकारी दी जाने या ऐसे परीक्षण या जांच पूरी होने तक, उस माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अंतिम निर्धारण उसके द्वारा उपदर्शित दर या मूल्य (चाहे वे आवश्यक रूप से निर्धारिती द्वारा घोषित दर या मूल्य न हों) पर किया जाए, किन्तु ऐसा वह तभी करेगा जब वह निर्धारिती उचित प्ररूप में यह बंधपत्र निष्पादित कर दे कि वह अस्थायी रूप से निर्धारित शुल्क और अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क के अन्तर की रकम चुका देगा और ऐसा बंधपत्र ऐसे प्रतिभू या ऐसी रकम की पर्याप्त प्रतिभूति सहित होगा या उसमें ऐसी शर्तें होंगी जो उचित अधिकारी ठीक समझे।

(ख) उपनियम (3) में, उत्पाद-शुल्क योग्य माल का विनिर्माता, संसाधक या स्वामी, शब्दों के स्थान पर "निर्धारिती", शब्द रखा जाएगा' ; और (ग) उपनियम (5) में, उत्पाद-शुल्क योग्य माल का विनिर्माता, संसाधक या स्वामी, "शब्दों" के स्थान पर "निर्धारिती", शब्द रखा जाएगा।

3 उक्त नियमों के नियम 52क में, उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :—इस नियम में और किसी अन्य नियम में जहां शब्द 'गेट पास' प्रयुक्त हुआ हो, वहां उससे अभिप्रेत होगा निर्धारिती का अपना परिसर इनवायस, चालान या एडवाइस नोट या

समरूप प्रकृति का अन्य दस्तावेज जिसमें उचित प्ररूप मे अन्तर्विष्ट सभी विशिष्टियां दर्शित हों ।"

4. उक्त नियमो में, विद्यमान नियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"53. दैनिक स्टाक खाता —(1) प्रत्येक विनिर्माता ऐसे प्ररूप मे जो कि कलक्टर किसी विशेष मामले में या मामलों के प्रवर्ग में अनुज्ञात करे, एक स्टाक खाता रखेगा और उस खाते में प्रतिदिन निम्नलिखित भरेगा—

(क) माल का वर्णन,

(ख) आदि अतिशेष,

(ग) विनिर्मित मात्रा,

(घ) भण्डार—कक्ष या नियम 47 के अधीन कलक्टर द्वारा अनुमोदित भण्डारण के किसी अन्य स्थान मे निक्षिप्त मात्रा,

(ङ) उसी भण्डार कक्ष या अन्य भण्डारण स्थान या नियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट स्थान या परिसरो से, शुल्क के संदाय के पश्चात्, हटाई गई मात्रा,

(च) निर्यात या अन्य प्रयोजनों के लिए, शुल्क के संदाय के बिना, कारखाने से परिदत्त मात्रा, और

(छ) शुल्क की दर और उस शुल्क की रकम :

परन्तु यदि कोई विनिर्माता यही आगे दिए प्ररूप में घोषणा करे तो कलक्टर उसे उपर्युक्त खाते में उन दिनों मे 'शून्य' प्रविष्टियां भरने से छूट दे सकेगा जिन पर न कोई उत्पादन हुआ हो और न भण्डार कक्ष में कोई प्राप्ति या शुल्क योग्य माल की कोई निकासी हुई हो।

घोषणा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 226 के साथ पठित नियम 53 के उपबन्धों को शिथिल करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर ने मुझे/हमे अनुज्ञा दी है कि मैं/हम स्टाक खाते के पृष्ठो में केवल उन तारीखो पर, प्रविष्टियां करूं/करें जब विशेष विवरण/किस्म/आकार के शुल्कयोग्य माल के पैकिंग के संबंध में उक्त नियम में उल्लिखित प्रकार का कोई संव्यवहार हो । अतः मैं/हम निष्ठापूर्वक घोषणा करता हू/करते हैं कि जिन तारीखो को स्टाक खाते मे कोई प्रविष्टि नही की गई उनको विशेष विवरण/किस्म आकार के पैकिंग के माल का कोई संव्यवहार नही हुआ । मैं/हम अनुबंध करते हैं कि उस विशेष दिन, प्रत्येक संव्यवहार के बारे मे प्रत्येक विवरण/किस्म/आकार के माल के पैकिंग के संबंध मे उक्त नियमों के नियम 53 में उल्लिखित प्रत्येक संव्यवहार के बारे में उक्त खाते में, नियमित दैनिक प्रविष्टिया करूंगा/करेंगे ।

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

(2) उपनियम (1) के अधीन रखे गए स्टाक खाते को, भरे जाने के पश्चात्, कम से कम पाच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखा जाएगा और वह किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

(3) जब तक कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्टतः छूट न दे दे, विनिर्माता ऐसी सभी लेखा पुस्तको को, जो उपनियम (1) के अधीन रखी जाती हैं, उनके उपयोग में लाए जाने के पूर्व उचित अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे समय पर, जिसका निदेश कलक्टर दे, अधिप्रमाणन के लिए भेजेगा, और ऐसी लेखा पुस्तके उचित प्ररूप में स्टाक खाता समझी जाएंगी ।"

5. उक्त नियमों के नियम 173क में, उपनियम (1) के अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे उत्पाद शुल्क्य माल में से, जो इस उपनियम के अधीन विनिर्दिष्ट हैं, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कतिपय उत्पाद शुल्क्य माल को घोषित उत्पाद-शुल्क्य माल के रूप में घोषित कर सकेगी और इस अध्याय के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरणो के अधीन रहते हुए, जो इस अध्याय के अधीन किसी नियम मे ऐसे घोषित माल के संबंध में उपदर्शित किए गए हैं, लागू होंगे ।"

"स्पष्टीकरण :—'घोषित उत्पाद-शुल्क्य माल' पद से, इस अध्याय में, जहां कही भी वह आता है, इस परन्तुक के अधीन घोषित माल अभिप्रेत है ।"

6 उक्त नियमों के नियम 173ख मे,

(क) उपनियम (1) मे, "किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल को हटाने से पहले प्रत्येक" शब्दो के स्थान पर "प्रत्येक" शब्द रखा जाएगा ; और

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(2क) सभी निकासी, नियम 173गग के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, केवल उचित अधिकारी द्वारा सूची के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी । यदि उचित अधिकारी की यह राय हो कि उस मामले में की जाने वाली किसी जाच के कारण या किसी अन्य कारण से, जो लेखाबद्ध किए जाएंगे, अनुमोदन प्रदान करने मे विलम्ब होने की सम्भावना है, तो वह, निर्धारिती द्वारा लिखित रूप मे अनुरोध करने पर, या स्वेच्छा से ऐसे निर्धारिती को माल के अनन्तिम निर्धारण के लिए नियम 9 ख के अधीन विहित प्रक्रिया का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात करेगा ।"

7. उक्त नियमों के नियम 173ग मे :—(क) उप नियम (1) मे, "यदि कोई हो" शब्दों के पश्चात् "ऐसी अन्य विशिष्टियो सहित, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड या कलक्टर विनिर्दिष्ट करे" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगें , और

8 उक्त नियमो के नियम 173ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"173गग **निर्धारित वर्गीकरण या कीमत सूची के उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लम्बित रहने तक कतिपय मामलों में माल को हटा सकेगा ।** कोई निर्धारिती,—

(क) जो उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए या अपने भण्डा भाण्डागार में ऐसे माल के रखने के लिए प्रथम बार अनुज्ञात किया गया है और जिसने, यथास्थिति, वर्गीकरण सूची या कीमत सूची दाखिल की है , या

(ख) जिसने प्रथम बार उत्पाद शुल्कय नया माल विनिर्मित किया है और यथास्थिति, वर्गीकरण सूची या कीमत सूची दाखिल की है, या

(ग) जो उचित अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदित कीमत सूची को पुनरीक्षित कराना चाहता है और जहां इस प्रकार पुनरीक्षित सूची—

(i) ऐसा मूल्य दर्शित करती है, जो पूर्व अनुमोदित कीमत सूची मे दर्शित मूल्य से अधिक है, या

(ii) ऐसी दर से शुल्क का उद्ग्रहण दर्शित करती है, जो पूर्व अनुमोदित वर्गीकरण सूची में दर्शित दर से अधिक है, यथास्थिति, सूची या पुनरीक्षित सूची के दाखिल करने के पश्चात् और उचित अधिकारी द्वारा ऐसी सूची का अनुमोदन लम्बित रहने तक यथास्थिति, सूची या पुनरीक्षित सूची मे घोषित आधार पर शुल्क का संदाय करने पर ऐसा माल हटा सकेगा, और तत्पश्चात् ऐसे माल पर संदत्त शुल्क नियम 9ख के अधीन अनन्तिम रूप से निर्धारित शुल्क समझा जाएगा ;

परन्तु ऐसी सूची का अनुमोदन लंबित रहने तक माल के हटाए जाने की इस नियम मे सुविधा तब नही रहेगी जब निर्धारिती, ऐसी सूची के अधीन प्रथम निकासी के 14 दिन के भीतर, ऐसी रकम का, ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभू सहित जैसे उचित अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, उचित प्ररूप मे एक बन्धपत्र निष्पादित नही करता।

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनार्थ, —

(1) 'वर्गीकरण सूची' से नियम 173ख के उपनियम (1) मे निर्दिष्ट सूची अभिप्रेत है, और

(2) 'कीमत सूची' मे नियम 173ग के उपनियम (1) मे निर्दिष्ट कीमत सूची अभिप्रेत है।"

9 उक्त नियमो के नियम 173 च मे, '173ग' अंको और अक्षर के पश्चात् 'या 173गग' अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

10 उक्त नियमो के नियम 173छ मे,—

(क) उपनियम (1) मे, परन्तुक के खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

(ख) उपनियम (2क) मे,

(1) "कोई भी निकासी' शब्दो के पश्चात् "नियम 173गग के उपबन्धो के अधीन रहते हुए", शब्द जोड़े जाएंगे, और

(2) "प्रार्थना किए जाने पर" शब्दो के पश्चात् "या स्वेच्छा से" शब्द जोड़े जाएंगे।

(11क) उचित अधिकारी, किसी ऐसे निर्धारिती को जो एक या अधिक उत्पाद शुल्क माल का विनिर्माण करता है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पूर्व कलेण्डर वर्ष मे उसने कितने परेषण उठाए है, शुल्क के सदाय के अंतिम दिन चालू खाते मे समेकित विकलन करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।",

(ख) उपनियम (2) मे,—

(1) जहा कही भी "या वैसा दस्तावेज" और "या वैसे ही दस्तावेज" शब्द आए है उनका लोप किया जाएगा, (2) परन्तुक के खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(5) जब तक कलक्टर लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दे निर्धारिती, गेट पास की किसी पुस्तिका को उपभोग मे लाने से पूर्व उचित अधिकारी से पुस्तिका के सभी गेट पासो को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित कराएगा जैसी कलक्टर निर्दिष्ट करे,

(6) जहा कोई ऐसा संशोधन, जो माल उठाने की तारीख या समय के बारे मे नही है या माल के विवरण (इसके अंतर्गत माल की किस्म, पैकेजो की संख्या और विवरण और उन पर लगे पहचान चिह्न भी है) के बारे मे नही है, माल उठाने से पूर्व ऐसे गेट पास मे करना जरूरी हो जाता है वहा यह संशोधन निर्धारिती द्वारा किया जा सकता है परन्तु इसे गेट पास की सभी प्रतियो मे सफाई से और तारीख सहित हस्ताक्षर के साथ किया जाना चाहिए।

(7) जहा उप नियम (1) मे निर्दिष्ट चालू-खाते के माल पर देय शुल्क को निर्धारिती द्वारा विकलित कर देने के पश्चात् निर्धारिती के लिए किसी गेट पास को रद्द करना आवश्यक हो जाता है वहा वह उचित अधिकारी को ऐसे गेट पास के रद्द करने के दिन के ठीक आगामी दिन तक न कि उसके पश्चात् उसकी लिखित सूचना भेज देगा और तत्पश्चात् उस लेखे मे शुल्क को जमा कर लेगा।', और

(ग) विद्यमान उपनियम (4) को उसके खण्ड (क) के रूप मे पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और —

(1) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (क) मे "समय समय पर अपेक्षा करे" शब्द के पश्चात् "या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे और

(2) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(ख) जब तक कलक्टर लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दे खण्ड (क) के अधीन रखी गई सभी लेखा बहिया उपयोग मे लाए जाने से पहले उचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर अधिप्रमाणन के लिए उसके द्वारा भेजी जाएगी जैसा कलक्टर निर्दिष्ट करे।"

"(ग) किसी निर्धारिती या निर्धारितियो के वर्ग की बाबत कलक्टर यह निदेश देगा कि खण्ड (क) के अधीन रखी गई सभी लेखा बहिया, खण्ड (ख) मे कथित बाता के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध प्रयोजन के लिए उचित प्ररूप समझी जाएगी।"

II उक्त नियमो मे विद्यमान नियम 173ट को उसके उपनियम 7 (1) के रूप मे पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और, —

(1) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप नियम (1) मे, —

(क) "उत्पाद-शुल्क माल" शब्दो से पूर्व "घोषित उत्पाद शुल्क माल से भिन्न" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "उप नियम (3) मे" से आरम्भ होकर "..... वास्तविक मात्रा" का सत्यापन कर सके, शब्दो से अंत होने वाले शब्दो अंको और कोष्ठको के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"नियम 56-क उपनियम (3) मे,—

(क) खण्ड (1) मे,—

(1) उपखण्ड (क) का लोप किया जाएगा

(11) उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् —

"(ग) उत्पाद शुल्क सदस या प्रति-शुल्क सदस प्रत्येक सामग्री या संघटक भागो या तैयार उत्पाद के प्रत्येक परेषण की प्राप्ति के संबंध मे उसकी प्राप्ति के चौबीस घन्टे के अन्दर उचित अधिकारी, उचित प्ररूप मे लिखित रूप मे सूचना देगा ताकि उचित अधिकारी, यथास्थिति, सामग्री या संघटक भागो या तैयार उत्पाद की पहचान कर सके और उक्त सूचना प्राप्त होने के अड़तालीस घण्टे के भीतर उसकी वास्तविक मात्रा का सत्यापन कर सके।

(2) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

(2) घोषित उत्पाद-शुल्कय माल के संबंध म उप नियम (1) के नीचे विनिर्दिष्ट नियम 56क के उपान्तरण लागू होगे सिवाय इसके कि उक्त नियम 56क के उपनियम (3) के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

(ग) उत्पाद शुल्क सदस या प्रति सदस प्रत्येक सामग्री या संघटक भागो या तैयार उत्पाद के प्रत्येक परेषण की प्राप्ति के संबंध मे उसकी प्राप्ति के चौबीस घण्टे के अन्दर उचित अधिकारी यदि वह आवश्यक समझे तो उचित प्ररूप मे लिखित रूप मे सूचना देगा ताकि उचित अधिकारी यथास्थिति सामग्री या संघटक भागो या तैयार उत्पाद की पहचान कर सके और उसकी वास्तविक मात्रा का सत्यापन कर सके।'

12. उक्त नियमों के नियम 173 ठ के उपनियम (1) में —

(क) परन्तुक के खण्ड (ii) में, "ऐसे पुनः प्रवेश के चौबीस घन्टो के भीतर" शब्दो के पश्चात्, "सूचना प्राप्त होने के 48 घन्टों के अन्दर ऐसे माल की विशिष्टियों को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी को समर्थ बनाने" शब्द अन्त स्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु यह और कि घोषित उत्पाद शुल्कय माल के सबध मे प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) निर्धारिती ऐसे उत्पाद शुल्कय माल के प्रत्येक परेषण के कारखाने मे पुन. प्रवेश करने की सूचना उचित अधिकारी को लिखित रूप मे तथा उचित प्ररूप मे ऐसे पुन प्रवेश के चौबीस घंटो के अन्दर दे ,"

13. उक्त नियमों के नियम 173-ङ के उपनियम (1) में —

(क) परन्तुक के खण्ड (ii) मे, "ऐसे पुन प्रवेश के चौबीस घटो के भीतर" शब्दो के पश्चात् "सूचना प्राप्त होने के 48 घंटों के अन्दर ऐसे माल की विशिष्टियो को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी को समर्थ बनाने" शब्द अन्त स्थापित किए जाएगे ; और (ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु और यह कि घोषित उत्पाद शुल्कय माल के सबध मे प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् .—

"(ii) निर्धारिती ऐसे उत्पाद शुल्कय माल के प्रत्येक परेषण के कारखाने मे पुन प्रवेश करने की सूचना उचित अधिकारी को लिखित रूप मे तथा उचित प्ररूप में ऐसे पुन. प्रवेश के चौबीस घटो के अन्दर दे ,"

14 उक्त नियमो मे नियम 173ण द्वारा प्रतिस्थापित नियम 185 के उपनियम (2) मे निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु यह कि कलक्टर द्वारा अवधारित समुचित प्रभारो का सदाय केवल उन दशाओं मे किया जाएगा जहा माल की परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व या अपराह्न छह बजे के पश्चात् की जाए।"

(सं०-10/78-सी०ई०)

[सं० 10/78-सी०ई०एफ० सं० 318/1/76-सी एक्स 10/एस आर पी]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th January, 1978

NOTIFICATION

Central Excise

G.S.R. 44(E).- -In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the 1st day of February, 1978.

2. In the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9B,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(1) Notwithstanding anything contained in these rules,—

(a) where the proper officer is satisfied that an assessee is unable to produce any document or furnish any information necessary for the assessment of duty on any excisable goods; or

(b) where the proper officer deems it necessary to subject the excisable goods to any chemical or any other test for the purpose of assessment of duty thereon; or

(c) where an assessee has produced all the necessary documents and furnished full information for the assessment of duty, but the proper officer deems it necessary to make further inquiry (including the inquiry to satisfy himself about the due observance of the conditions imposed in respect of the goods after their removal) for assessing the duty,

the proper officer may, either on a written request made by the assessee or on his own accord, direct that the duty leviable on such goods shall, pending the production of such documents or furnishing of such information or completion of such test or enquiry, be assessed provisionally at such rate or such value (which may not necessarily be the rate or price declared by the assessee) as may be indicated by him, if such assessee executes a bond in the proper form with such surety or sufficient security in such amount, or under such conditions as the proper officer deems fit, binding himself for payment of the difference between the amount of duty as provisionally assessed and as finally assessed.";

(b) in sub-rule (3), for the words "manufacturer, curer or owner of excisable goods", the word 'assessee' shall be substituted; and

(c) in sub-rule (5), for the words "manufacturer, curer or owner of the goods,", the word "assessee" shall be substituted.

3. In rule 52A of the said rules, after sub-rule (1), the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—In this rule, and in any other rule, where the term "gate-pass" is used, it shall mean the assessee's own delivery invoice, challan or advice note or other document of similar nature wherein all the particulars contained in the proper form are shown."

4. In the said rules, for the existing rule 53, the following shall be substituted, namely :—

"53. Daily stock account.—(1) Every manufacturer shall maintain a stock account in such Form as the Collector may in any particular case or class of cases allow, and shall enter in such account daily—

(a) description of goods,

(b) opening balance,

(c) quantity manufactured,

(d) quantity deposited in the store-room, or other place of storage approved by the Collector under rule 47,

(e) quantity removed, after payment of duty from such store-room or other place of storage or from the place or premises specified under rule 9,

(f) quantity delivered from the factory without payment of duty for export or other purposes, and

(g) the rate of duty and the amount of such duty ;

Provided that a manufacturer who furnishes a declaration in the Form annexed hereto may be exempted by the Collector from making 'nil' entries in the above account on days on which there is no production, receipt in store-room, or clearance of excisable goods.

Declaration

The Collector of Central Excise. . . having permitted me/us, in relaxation of the provisions of rule 53 read with rule 226 of the Central Excise Rules, 1944, to make entries in the different openings of the stock account only on those dates when there is any transaction of the nature mentioned in the said rule in respect of the particular description/variety/size of packing of the excisable goods, I/We hereby solemnly declare that no such transaction has taken place on any date for which no entries are made in the stock account for the particular description/variety/size of packing of the goods I/We hereby undertake to make regular daily entries in the said account in respect of each description/variety/size of packing of the goods in respect of each transaction mentioned in rule 53 of the said rules on the particular day.

Signature of Licensee

(2) The stock account maintained under sub-rule (1) shall, after being filled up, be preserved for a period of not less than five years and kept available for inspection by any officer.

(3) Unless specially exempted by the Collector by order in writing, a manufacturer shall send all books of account as are maintained under sub-rule (1), before they are brought into use, for authentication by the proper officer in such manner and at such time as the Collector may direct, and such books of account shall be deemed to be a stock account in the proper form"

5. In rule 173A of the said rules, at the end of sub-rule (1), the following proviso and Explanation shall be inserted, namely :—

"Provided that from amongst the excisable goods as are specified under this sub-rule, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare certain excisable goods as declared excisable goods and the provisions of this Chapter shall, subject to such modifications as are indicated in relation to such declared goods in any rule under this Chapter, apply."

"Explanation.—The expression 'declared excisable goods', wherever it occurs, in this Chapter means the goods declared under this proviso."

6. In rule 173B of the said rules,

(a) in sub-rule (1) for the words "Before removing excisable goods, every", the word "Every" shall be substituted ; and

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) All clearances shall, subject to the provisions of rule 173CC, be made only after the approval of the list by the proper officer. If the proper officer is of the opinion that on account of any inquiry to be made in the matter or for any other reason to be recorded in writing there is likely to be delay in according the approval, he shall, either on a written request made by the assessee or on his own accord, allow such assessee to avail himself of the procedure prescribed under rule 9B for provisional assessment of the goods"

7. In rule 173C of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), after the words "to the buyers", the following words "along with such other particulars as the Central Board of Excise and Customs or the Collector may specify" shall be inserted ; and

(b) in sub-rule (2A),

(i) for the words "All clearances shall be made only after the approval of the price list by the proper officer", the words, figures and letters "All clearances shall, subject to the provisions of rule 173CC, be made only after the approval of the price list by the proper officer" shall be substituted ; and

(ii) for the words "on a written request made by the assessee", the words "either on a written request made by the assessee or on his own accord" shall be substituted.

8. After rule 173C of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"173CC. Assessee may remove goods in certain cases pending approval by the proper officer of the classification or price list.

An assessee—

(a) who is licensed for the first time for the manufacture of excisable goods or for the storage of such goods in his warehouse and has filed the classification list or, as the case may be, the price list, or

(b) who has manufactured new excisable goods for the first time and has filed the classification list or, as the case may be, the price list, or

(c) who desires to revise the price list previously approved by the proper officer and where the price list as so revised—

(i) leads to a value higher than that shown in the previously approved price list, or

(ii) leads to levy of duty at a rate higher than that shown in the previously approved classification list,

may, after he has filed the list or, as the case may be, the revised list, and pending approval of such list by the proper officer, remove such goods, on payment of duty on the basis declared in the list or, as the case may be, the revised list, and thereupon the duty paid on such goods shall be deemed to be the duty assessed provisionally under rule 9B :

Provided that the facility in this rule to remove the goods pending approval of such list shall cease, if the assessee fails to execute, within 14 days of the first clearance under such list, a bond in the proper form for such amount with such security or surety as the proper officer may specify.

Explanation.—For the purpose of this rule,—

(i) 'classification list' means the list referred to in sub-rule (1) of rule 173B ; and

(ii) 'price list' means the price list referred to in sub-rule (1) of rule 173C."

9. In rule 173F of the said rules, after the figures and letter "173C", the figures and letters "or 173CC", shall be inserted.

10. In rule 173G of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), after clause (ii) of the proviso, the following clause shall be inserted, namely :—

"(ii) the proper officer may allow an assessee who manufactures one or more ofthe declared excisable goods, irrespective of the number of consignments removed by him in the previous calendar year, to make consolidated debit in the account-current at the end of the day towards payment of duty.";

(b) in sub-rule (2)—

(i) the words "or like document", "or like document or documents" and "or like documents", wherever they occur, shall be omitted;

(ii) after clause (iv) of the proviso, the following clauses shall be inserted, namely :—

"(v) unless specially exempted by the Collector by order in writing, the assessee shall, before any

book of gatepasses is brought into use, have each gatepass in such book authenticated by the proper officer, in such manner as the Collector may direct ;

(vi) where any correction, other than one relating to the date or the time of removal of the goods or to the description of the goods (including the variety of goods, the number and description of packages and the identification marks thereon), becomes necessary in any gatepass before removal of the goods, such correction may be made by the assessee provided this is done neatly and over his dated signature in all copies of the gatepass;

(vii) where the assessee, after he has debited the duty due on the goods in the account current referred to in sub-rule (1), finds it necessary to cancel any gatepass, he shall send an intimation thereof in writing to the proper officer not later than the working day next following the day on which such gatepass is cancelled, and may thereupon take credit of the duty in that account."; and

(c) the existing sub-rule (4) shall be re-numbered as clause (a) thereof, and—

(i) in clause (a), as so re-numbered, after the words "time to time require", the words "or permit, subject to such conditions as may be specified by him", shall be inserted; and

(ii) after clause (a), as so re-numbered, the following clauses shall be inserted, namely :—

"(b) Unless specially exempted by the Collector by order in writing, all books of accounts maintained under clause (a) shall be sent by him, before these are brought into use, for authentication by the proper officer in such manner and at such time as the Collector may direct;"

"(c) In respect of any assessee, or class of assessees, the Collector may direct that all books of accounts maintained under clause (a), subject to what has been stated in clause (b), shall be deemed to be the proper form for the respective purpose."

11. In the said rules, the existing rule 173K shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and,—

(1) In sub-rule (1) as so renumbered—

(a) after the words "excisable goods", the words "other than the declared excisable goods" shall be inserted;

(b) for the words, brackets and figure beginning with "In sub-rule (3)" and ending with..... ."quantity thereof", the following shall be substituted, namely :—

"In sub-rule (3) of rule 56-A.—

(a) in clause (i)—

(i) sub-clause (a), shall be omitted,

(ii) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(c) inform the proper Officer in writing in the proper form regarding receipt of each consignment of excise duty paid or the countervailing duty paid material or component parts or finished product within twenty-four hours of its receipt to enable the proper officer to identify the material or component parts or finished product, as the case may be, and verify the actual quantity thereof within forty-eight hours of receipt of the aforesaid information.";

(2) after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) In relation to the declared excisable goods, the modifications to rule 56A specified below sub-rule (1) shall apply except that sub-clause (c) of clause (i) of sub-rule (3) of the said rule 56A, shall be substituted as follows, namely :—

"(e) Inform the proper officer in writing in the proper form regarding receipt of each consignment of excise duty paid or the countervailing duty-paid material or component parts or finished product within twenty-four hours of its receipt to enable the proper officer, if he deems it necessary, to identify the material or component parts or finished product as the case may be, and verify the actual quantity thereof.".

12. In sub-rule (1) of rule 173-L of the said rules,—(a) in clause (ii) of the proviso, after the words "within twenty-four hours of such re-entry", the words, "to enable the proper officer to verify the particulars of such goods within forty-eight hours of receipt of the information" shall be inserted ; and

(b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in relation to the declared excisable goods, for clause (ii) of the first proviso, the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) the assessee gives information of the re-entry of each consignment of such excisable goods into the factory to the proper officer in writing in the proper form within twenty-four hours of such re-entry ;".

13. In sub-rule (1) of rule 173-M of the said rules,—(a) in clause (ii) of the proviso, after the words, "within twenty-four hours of such re-entry" the words "to enable the proper officer to verify the particulars of such goods within forty-eight hours of receipt of the information" shall be inserted ; and (b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in relation to the declared excisable goods, for clause (ii) of the first proviso, the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) the assessee gives information of the re-entry of each consignment of such excisable goods into the factory to the proper officer in writing in the proper form within twenty-four hours of such re-entry ;".

14. In the said rules, to sub-rule (2) of rule 185 as substituted by rule 173-O, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the payment of the appropriate charges determined by the Collector shall only be required in cases where the examination of goods is to be carried out before ten O'Clock in the forenoon, or after six O'Clock in the after-noon.".

(No. 10/78-CE)

[No. 10/78-C.E.-F. No. 318/1/76-CX. 10/SRP.]

सा० का० नि० 45 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-क के उपनियम (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 7(2) में विनिर्दिष्ट मद की संख्याओं में समाविष्ट माल को घोषित उत्पाद शुल्कय माल के रूप में घोषित करती है।

सारणी

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं०
(1)	(2)
1	6
2	7
3	8
4	9

(1)	(2)
5	10
6	11
7	11क
8	11ख
9	11ग
10	14क
11	14जज
12	15ख
13	15कक
14	22ग
15	23
16	25
17	26
18	26क
19	26कक
20	26ख
21	27
22	27क
23	28
24	33कक
25	33धध
26	34
27	34ख
28	37(1)
29	63
30	64
31	66
32	67

परन्तु यह कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी निर्धारिती या निर्धारितियों के वर्ग को लागू नहीं होगी जिसके बारे में नियम 173-छ के उपनियम (4) के खण्ड (ग) के अनुसरण में आवश्यक निदेश कलेक्टर द्वारा जारी न कर दिया गया हो।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 11/78-सी० ई० स० 178-सी० ई० एफ० स० 318/1/76-सी० एक्स० 10/एस०आर०पी०]

एन० सी० जैन, अवर सचिव.

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (1) rule 173-A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby declares the goods comprised in Item Nos. specified in column (2) of the Table below as declared excisable goods.

TABLE

S No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944)
(1)	(2)
1.	6
2.	7
3.	8
4.	9
5.	10
6.	11
7.	11A
8.	11B
9.	11C
10.	14A
11.	14HH
12.	15B
13.	15AA
14.	22C
15.	23
16.	25
17.	26
18.	26A
19.	26AA
20.	26B
21.	27
22.	27A
23.	28
24.	33AA
25.	33DD
26.	34
27.	34B
28.	37(I)
29.	63
30.	64
31.	66
32.	67

Provided that nothing contained in this notification shall apply to an assessee, or class of assessees, in respect of whom necessary direction, in pursuance of clause (c) of sub-rule (4) of rule 173-G, has not been issued by the Collector.

2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 1978.

[No. 11/78-CE No. 178-CE-F. No. 318/1/76-CX-10/SRP.]

N.C. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978